

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) नागौर

कमांक रसद/एफ.पी.एस./विज्ञप्ति/2023/२३९

दिनांक:- २२-०२-२०२३

विज्ञप्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले में उचित मूल्य की रिक्त/नवसृजित दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

इस हेतु खाद्य विभाग के पत्रांक :एफ 17(1)खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं एफ. 17 (5) खावि/न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिशा निर्देशों के तहत सशुल्क(100/-रूपये का पोस्टल ऑर्डर) आवेदन पत्र इस कार्यालय से ही प्राप्त किया जाकर आमंत्रित दिनांक 23.02.2023 से 17.03.2023 तक कार्यालय समय में प्राप्त किए जाकर दिनांक 20.03.2023 से 03.04.2023 सायं 05 बजे तक (राजकीय अवकाशों को छोड़ते हुए) निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी नागौर में जमा करवाये जा सकेंगे। आवेदन पत्र आवेदनकर्ता द्वारा निर्धारित समय अवधि में स्वयं को कार्यालय में उपस्थित होकर जमा करवाना होगा। अन्य किसी भी माध्यम यथा डाक/अन्य व्यक्ति से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। सभी रिक्तियों के लिए 30 प्रतिशत महिलाओं (बेरोजगार) का क्षेत्रीय आरक्षण/वरीयता को रखा जाएगा।

रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों का विवरण निम्नानुसार है :-

क. स.	वितरण केन्द्र	ग्राम पंचायत/न.प. /न0पा0	रिक्त	तहसील/उपखण्ड	महिला (बेरोजगार) आरक्षण
मकराना					
1	वार्ड नं. 38 नगर परिषद मकराना 25920	वार्ड नं. 38 नगर परिषद मकराना	रिक्त	मकराना	अनारक्षित
2.	वार्ड नं. 40 नगर परिषद मकराना 25922	वार्ड नं. 40 नगर परिषद मकराना	रिक्त	मकराना	महिला आरक्षित
मेड़ता					
1	लाई 9194	लाई	रिक्त	मेड़ता	अनारक्षित
जायल					
1.	ईग्यार 22405	ईग्यार	रिक्त	जायल	अनारक्षित
लाडनूँ					
1.	हुसैनपुरा 30099	लाछड़ी	रिक्त	लाडनूँ	महिला आरक्षित
2.	बल्दु 12405	बल्दु	रिक्त	लाडनूँ	अनारक्षित
3.	निम्बीजोधा 12391	निम्बीजोधा	रिक्त	लाडनूँ	महिला आरक्षित

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ 17(1)खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों तथा एफ. 17 (5) खावि/न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.03.2016 के दिशा निर्देश एवं रिक्त उचित मूल्य की दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट food.rajasthan.gov.in व जिला रसद कार्यालय नागौर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।


उक्त रिक्तियों में कमी/बढोतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय सुरक्षित रहेगा।

(पीयूष भारारिया)
जिला कलक्टर (रसद)
नागौर

क्रमांक/सम/2021/२५०७०२५२
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

दिनांक :- 22-02-2023

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् अति. खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान् उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमान् सांसद महोदय, नागौर।
6. श्रीमान् सांसद महोदय, राजसमंद।
7. श्रीमान् ए.सी.पी. खाद्य विभाग जयपुर उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट food.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
8. श्रीमान् संयुक्त निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नागौर को जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. श्रीमान् विधायक, नागौर/खीवसर/जायल/लाडनूं/डीडवाना/नावां/मकराना/परबतसर/डेगाना/मेड़ता
10. उपखण्ड अधिकारी नागौर/खीवसर/जायल/लाडनूं/डीडवाना/कुचामन/नावां/मकराना/परबतसर/डेगाना/मेड़ता/रियांबड़ी /मूण्डवा।
11. प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक समस्त जिला नागौर।
12. प्रबंधक, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि. नागौर।
13. रक्षित पत्रावली।


(अंकित पचार)
जिला रसद अधिकारी
नागौर